इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 जनवरी 2021—पौष 22, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2021

क्र. 556-20-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ८ सन् २०२१

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, २०२१

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २० सन् १९९१ का अस्थाई रूप से संशोधन किया जाना.

३. धारा २ का संशोधन.

४. धारा ७ का स्थापन.

५. धारा ९क का अंत:स्थापन.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ८ सन् २०२१

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, २०२१

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक १२ जनवरी, २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, २०२१ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २० सन् १९९१ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २० सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ से ५ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ञ-क) ''प्रति कुलपति'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ९क में यथा विहित कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति;''.

धारा ७ का स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

''७. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(१) कुलाधिपति

(२) कुलपति

(३) प्रति कुलपति

(४) निदेशक

(५) कुल सचिव

(६) वित्त अधिकारी और

(७) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए.''.

५. मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:— **धारा ९क का अंत:स्थापन.**

"९क. कुलपति किसी एक प्राध्यापक को प्रति कुलपति के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा और वह कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं.". **प्रति कुलपति.**

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल
मध्यप्रदेश.

भोपाल :
तारीख ७ जनवरी, २०२१

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2021

क्र. 556-20-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 8 OF 2021

THE MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY AMENDMENT ORDINANCE, 2021

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Madhya Pradesh Act No. 20 of 1991 to be temporarily amended.
3. Amendment of section 2.
4. Substitution of section 7.
5. Insertion of section 9A.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 8 OF 2021

THE MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY AMENDMENT ORDINANCE, 2021

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th January, 2021.]

Promulgated by the Governor in the seventy first year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University Adhiniyam, 1991.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University Amendment Ordinance, 2021.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Madhya Pradesh Act No. 20 of 1991 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University Adhiniyam, 1991 (No. 20 of 1991) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3 to 5.

Amendment of section 2.

3. In Section 2 of the principal Act, after clause (j), the following clause shall be inserted, namely :—

"(j-a) "Pro-Vice-Chancellor" means Pro-Vice-Chancellor of the University nominated by the Vice-Chancellor as prescribed in Section 9A of the, Act;".

Substitution of section 7.

4. For Section 7 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely :—

Officers of the University.

"7. The following shall be the officers of the University, namely:—

(1) The Kuladhipati

(2) The Kulpati

(3) The Pro-Vice-Chancellor

(4) The Directors

(5) The Registrars

(6) The Finance Officers

(7) Such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.".

Insertion of section 9A.

5. After Section 9 of the principal Act, the following Section shall be inserted, namely :—

Pro-Vice-Chancellor.

"9A. The Kulpati may nominate one of the Professors as Pro-Vice-Chancellor who shall hold office during the pleasure of the Kulpati and shall perform such function as may be assigned to him by the Kulpati.".

ANANDIBEN PATEL
Governor
Madhya Pradesh.

BHOPAL :
Dated, the 7th January, 2021

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021